इकाई 4 शिक्षा तथा नीतियाँ

संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 संवैधानिक प्रावधान तथा शिक्षा

4.3.1 शिक्षा और संविधान में सम्बन्ध

4.3.2 शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान

4.3.3 संवैधानिक प्रावधानों का सार्वजनिक नीतियों में अनुवाद

4.4 शिक्षा लोकनीति का महत्त्वपूर्ण तंत्र : आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

4.5 शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन

4.5.1 कार्य योजना का निर्माण

4.5.2 शैक्षिक नीतियों को क्रियान्वित तथा कार्यान्वित करना

4.5.3 शैक्षिक नीतियों के नियोजन तथा निष्पादन में हितधारकों की सहभागिता

4.6 नीतियों/योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन

4.7 नीतियों का मूल्यांकन

4.8 सारांश

4.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

4.10 अपनीप्रगति की जाँच के लिए उत्तर

4.1 प्रस्तावना

किसी देश की संपूर्ण राष्ट्र प्रगति के लिए शैक्षिक नीतियों और योजनाओं का नियोजन तथा क्रियान्वयन प्रमुख कुंजी है। यह देश के संवैधानिक प्रावधानों की सीमा के अंतर्गत आता है। देश के विकास के लिए शैक्षिक नीतियाँ और योजनाएँ संवैधानिक सीमा और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्थापित की जाती हैं। इसलिए देश के शैक्षिक और अन्य विकासात्मक पहलुओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा की कई समितियाँ और आयोग स्थापित किए जाते हैं। केवल शैक्षिक नीतियों/योजनाओं की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभार्थियों के लिए नीतियों/योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। अतः आवश्यकता है : उचित योजना बनाने की, हितधारकों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनको शामिल करने की तथा क्रियान्वयन करने की। संवैधानिक प्रावधानों को समझने के लिए नीतियाँ प्रमुख तत्व हैं। कोई भी सार्वजनिक नीतियाँ तथा योजनाएँ स्थायी नहीं होती हैं। लाभार्थियों की आगे की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए एक समय अंतराल के बाद इसकी समीक्षा की आवश्यकता होती है। अतः नीतियों और योजनाओं को नयापन प्रदान करने के लिए तथा उन्हें संशोधित करने के लिए नीतियों तथा योजनाओं का मूल्यांकित अध्ययन करना आवश्यक है।

टिप्पणी: इस इकाई की कुछ सामग्री को इकाई 3, बी.ई.एस.–122, समकालीन भारत और शिक्षा, बी.एड., इग्नू, 2016 से रूपांतरित और लिया गया है।

इस इकाई में उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो आपको शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों, देश में शैक्षिक नीतियों को स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका तथा नीतियों के उपयुक्त क्रियान्वयन के पक्षों को समझने में मदद करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- भारत में शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से परिचित हो सकेंगे;
- संवैधानिक प्रावधानों को सार्वजनिक नीतियों के रूपांतरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे;
- शैक्षिक नीतियों और योजनाओं के नियोजन और निष्पादन में अपनाई गई प्रक्रियाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे;
- नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे; तथा
- नीतियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए मूल्यांकन तथा प्रतिपुष्टि अध्ययन के महत्व पर चर्चा कर सकेंगे।

4.3 संवैधानिक प्रावधान तथा शिक्षा

एक राष्ट्र के संविधान में राष्ट्र के प्रशासन तथा विकास के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्त सम्मिलित होते हैं। सांविधानिक प्रावधानों, दृष्टिकोणों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए नीतियों को विकसित किया जाता है। शिक्षा, संविधान का मुख्य पक्ष होता है जो देश में लोक शिक्षा के लिए विभिन्न नीतियों के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। भारत में शैक्षिक तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दों का निराकरण करना वास्तव में देश के लिए एक चुनौती है जहाँ सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था में विविधता तथा बहुलतावाद एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहक के रूप में विद्यमान हैं। अतः राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना कठिन है।

संविधान की प्रस्तावना

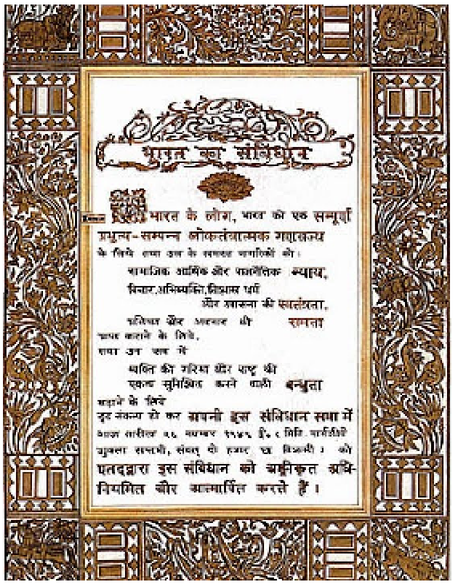
भारत का संविधान

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिये तथा उस के समस्त नागरिकों को :
सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता
बढ़ाने के लिये
दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० [illegible]
[illegible] को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

शिक्षा सहित राष्ट्र की नीति एवं योजना आवश्यक रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निर्मित किए जाते हैं जो हमें संवैधानिक मूल्यों जैसे : न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की प्राप्ति एवं अनुरक्षण हेतु निर्देशित करता है।

यद्यपि हम विविधता तथा बहुलतावाद को अपने समाज की मजबूती मानते हैं, कमजोरी नहीं। निरंतर प्रयास सभी प्रकार की विविधता तथा बहुलतावाद को समाज के मुख्यधारा में लाने का काम किया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा समेत विभिन्न विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस इकाई के इस भाग में, हम लोग शिक्षा का संविधान से सम्बन्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा शिक्षा के लिए विभिन्न सांविधानिक प्रावधानों का विश्लेषण भी कर सकेंगे।

4.3.1 शिक्षा तथा संविधान में सम्बन्ध

हमारी सांविधानिक व्यवस्था के मौलिक प्रावधानों, अधिकारों और उत्तरदायित्त्वों की दृष्टि तथा अर्थ को शिक्षा गहराई से प्रभावित करती है। हम किसे और कैसे तथा किस विषयवस्तु और रूप में शिक्षा प्रदान करें, इस पर संविधान का समान रूप से महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहता है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी शैक्षिक रणनीतियाँ तथा सुधार संविधान द्वारा निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में अपनाई तथा मूल्यांकित की जाती है। दूसरी तरफ नीति निर्माताओं द्वारा विकसित तथा उपयुक्त नीतियाँ संविधान के दायरे में वृद्धि करती हैं तथा विकसित होती हैं। शिक्षा तथा संविधान के मध्य सम्बन्ध की प्रकृति का परीक्षण एक रोचक विषय है। लोक शिक्षा संदर्भ तथा मूलभूत सांविधानिक सिद्धान्तों के विकास के मध्य अंतःक्रिया विद्यालय परिसर के अंदर तथा बाहरी दोनों संदर्भों में उपयोगी है। दूसरी विमा (क्षेत्र) स्पष्ट तथा छिपा हुई पाठ्यचर्या है जो संविधान के विकास तथा अनुप्रयोग से सम्बन्धित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में, हम लोक शिक्षा तथा संविधान के मध्य निकट सम्बन्ध को देख सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा बच्चों तथा उनके अभिभावकों को यह सुनिश्चित करती है कि वे सांविधानिक वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिए कार्य हेतु राज्य से चुनौतीपूर्ण अंतःक्रिया करेंगे।

सभी बच्चों को समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक रणनीतियों के विकास पर भी संविधान प्रभाव डालता है जो निरंतर अनुरीक्षण का विषय है। अन्य शब्दों में, शिक्षा में कोई भी नीति एवं अभ्यास (अन्य क्षेत्र में) सांविधानिक अनुरीक्षण तथा सांविधानिक शर्तों के रूप में निर्धारित स्वीकार्यता मानकों से सम्बन्धित विषय हैं। नीतियों का चयन तथा निर्माण यह प्रतिबिम्बित करता है कि हम क्या हैं तथा एक राष्ट्र के रूप में क्या होना चाहते हैं?

4.3.2 शिक्षा हेतु सांविधानिक प्रावधान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक प्रगति की अवधारणा तथा उनकी दृष्टि में न्यायप्रिय तथा समतामूलक समाज में शिक्षा आंदोलनकारी भूमिका निर्वाहक के रूप में है। भारत में सामाजिक रूप से वंचित लोगों के उद्धार में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को उनके शब्दों में समुचित रूप से अभिव्यक्त किया जा रहा हैः

"जैसा कि मैं हिन्दू समाज के सबसे निचले स्तर से सम्बन्ध रखता हूँ, मैंने जाना कि शिक्षा का मूल्य क्या होता है। निचले स्तर के उत्थान में आर्थिक समस्या का होना, महान भूल है। भारत में निचले स्तर का उत्थान उनको भोजन कराना, वस्त्र पहनाना, तथा उच्च स्तर पर सेवा कराना नहीं है ..... समस्या, उनमें से हीनभावना को निकालना है जिसने उनकी प्रगति को अवरुद्ध किया है ... उनमें उनके जीवन तथा राष्ट्र के प्रति महत्त्व की चेतना का निर्माण करना है ... जो वर्तमान व्यवस्था द्वारा

क्रूरतापूर्वक लूटा गया है .... शिक्षा के विस्तार के अतिरिक्त कुछ भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। यह, मेरे विचार में, हमारे सामाजिक व्याधि का उपचार है।"

(भट्टाचार्य, 2002)

केवल डॉ. अम्बेडकर ही नहीं यद्यपि, हम पाते हैं कि विश्व स्तर पर जाति व्यवस्था तथा भेदभाव को समाप्त करने, दमन पर नियंत्रण के लिए आंदोलनों ने सदैव शिक्षा को एक प्राथमिक अस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है (ओमवेदट, 1993)। शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए, देशवासियों को शिक्षित करने के लिए भारतीय संविधान अपने प्रावधानों में व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। भारतीय संविधान में निहित विशेष शैक्षिक प्रावधानों पर विमर्श किया गया है।

मौलिक अधिकार तथा शिक्षा

हमारे संविधान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में समानता की भावना को स्थापित किया गया है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद भारत में शिक्षा पर विशेष बल देते हैं।

अनुच्छेद 14 – "राज्य भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से इन्कार नहीं करेगा"। आधुनिक राज्य व्यक्तिगत स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। समानता के अधिकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य शक्तियों का उपयोग विभेदकारी रूप में न करें। शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश नियमों को नियंत्रित करने के लिए यह कार्य करेगा और इस प्रकार यह सभी तक शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

अनुच्छेद 15 – राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधारपर भेदभाव नहीं करेगा। यह भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 15(4) – यह सरकार को पिछड़े वर्गों समेत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान बनाने के लिए सक्षम बनाता है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण को भी सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 16(1) – राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16 (4) – नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष उपबन्ध करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद21(क) – राज्य को छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्धारित करना है। इसे 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया है। यह अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्वक शैक्षिक विस्तार में सुनिश्चित करने हेतु अधिकार की स्थिति प्रदान किया है।

अनुच्छेद 24 – चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी भी किसी उद्योग, खनन या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 28 – राज्य द्वारा चलाए जा रहे संस्थान न तो कोई धार्मिक उपदेश और न ही धार्मिक शिक्षा देंगे और किसी भी धर्म के व्यक्तियों का समर्थन करेंगे। इस अनुच्छेद के अधीन, राज्य या अन्य कोई अभिकरण पूर्णतः राज्य प्रबन्धित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, यद्यपि, किसी भी न्यास या धार्मिक संस्थान द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट है। इसके आगे अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य पोषित या अनुदानित विद्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को बिना उनके माता–पिता के सहमति के किसी भी धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान जो राज्य में अनुदान (सहायता) प्राप्त करने के योग्य हैं, वे संस्थान में प्रदान की जा रही धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करने के लिए अपने विद्यार्थियों को विवश नहीं कर सकते। किसी भी विद्यार्थी पर अपनी धार्मिक विचारधारा को थोपे बिना वे अपने धार्मिक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं।

अनुच्छेद 46 – राज्य विशेष संरक्षण के साथ शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा और विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से रक्षा करेगा।

अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

किसी राष्ट्र की सुंदरता इसके अल्पसंख्यक जनसंख्या की देखभाल में निहित है। समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान उनके लिए बहुत से शैक्षिक प्रावधान प्रदान करता है। कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

अनुच्छेद 29 – यह अल्पसंख्यकों के हितोंकी रक्षा के लिए सुनिश्चितता प्रदान करता है:

- नागरिकों का कोई भी समूह भारत के राज्याधिकार या इसके किसी अन्य भाग में निवास करते हैं जिनकी एक निश्चित भाषा, लिपि या संस्कृति है उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थान में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक कारण प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा विशेषकर भाषा संरक्षण के एक महत्त्वपूर्ण भाग के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 30 – शिक्षा के लिए सरकारी अनुदानों की प्राप्ति में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के विषय में विस्तार (स्पष्टीकरण) करता है:

- सभी भाषायिक या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार होगा।
- अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किसी भी शैक्षिक संस्थान की किसी भी सम्पत्ति के आवश्यक अधिग्रहण के लिए नियम निर्माण में, खंड 1 में

उल्लेखित, राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की संपत्ति अधिग्रहण के लिए ऐसीविधि के अंतर्गत निर्धारित या निश्चित राशि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित अधिकार को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करे। राज्य भाषायिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अंतर्गत किसी शैक्षिक संस्थान को अनुदान प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा।

- अंतिम खंड राज्य को शैक्षिक नियंत्रण के लिए निर्देशित नहीं करता है परंतु मातृभाषा में शिक्षा से सम्बन्धित नियामकों को संरक्षित करता है जो अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रावधान स्वरूप न्यायालयों में भी मान्य रहा है।

अनुच्छेद 350 – यह लोगों की "शिकायतों के निवारण हेतु निरूपण" में अपनी समझ की भाषा केउपयोग काअधिकार सुनिश्चित करता है।संविधानके 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भाषायिक अल्पसंख्यक मुद्दों के निराकरण के लिए निम्नलिखित दो अनुच्छेदको सम्मिलित किया गयाः

अनुच्छेद 350(अ) – यह प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाओं को संरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्य के अन्दर तथा प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकार का यह प्रयास होगा कि वे भाषायी अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को दिशा निर्देश निर्गत कर सकता है यदि वह इस प्रकार की सुविधाओं के प्रावधानों की सुरक्षा आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350(ब) – यह भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के विषय में बात करता हैः

- भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी बातों की जाँच–पड़ताल (निरीक्षण) करें और जैसा राष्ट्रपति निर्देश हों, इन विषयों से सम्बन्धी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे और राज्यों की सम्बन्धित सरकारों को प्रेषित करेगा।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा शिक्षा

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किए गए हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत तीन मार्गदर्शक प्रावधान हैं जो शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए आधारभूत ढाँचा प्रदान करते हैं। ये हैंः

- **अनुच्छेद 41** : यह राज्य को उसकी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं के अंतर्गत *कार्य करने का अधिकार और सभी के लिए शिक्षा का अधिकार* प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधानों के निर्माण करने के लिए निर्देशितकरता है।
- **अनुच्छेद 45** : राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में एक महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते, इसने देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी। अनुच्छेद

कहता है कि *"राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने के दस वर्षों के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक कि वे चौदह वर्ष तक की आयु पूरी नहीं कर लेते।"* 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए, अनुच्छेद 21ए के सन्निवेश के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है तथा इसका क्षेत्र छः वर्ष तक की आयु तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है।

संविधान में कोई भी अनुच्छेद भिन्न रूप में कार्य नहीं करता है। यही बात अनुच्छेद 45 के लिए भी सत्य है। अनुच्छेद 29 (2) की पंक्तियों के आधार पर यह सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है जिसके अनुसार राज्य द्वारा संचालित किसी भी संस्था में किसी को भी मूलवंश/प्रजाति, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21(अ) जो सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 45 के समान महत्त्वपूर्ण है। 15, 29(2), 15(3), 46 और 29(1) अनुच्छेद भारत सरकार को देश के सभी भागों में शैक्षिक अवसरों की समानता के उत्तरदायित्त्व को सौंपते हैं तथा राज्यों या पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करते हैं।

- **अनुच्छेद 46** : इसके अनुसार *"राज्य कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष उत्तरदायित्व के साथ प्रोत्साहित करेगा तथा इन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से रक्षा करेगा।"* इस प्रकार अनुच्छेद 46 शिक्षा से सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथविभिन्न कारणों से पीछे छूटे लोगों हेतु विशेष प्रावधान की व्यवस्था द्वारा शैक्षिक अवसरों में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक–दूसरे के पूरक के रूप में देखना संभव है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ करने के लिए परामर्श देते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतसंपूर्ण समाज की भलाई को सुनिश्चित करते हैं।

(**स्रोत**: उपरोक्त भाग इग्नू के डी.ई.एल.ई.डी. कार्यक्रम के बी.ई.एस. 004 पाठ्यक्रम के खण्ड 2 से लिया गया है।)

क्रियाकलाप 1

क्यासंविधान मौलिक अधिकारों को भारत में गरीब तथा अशिक्षित महिलाओं तक पहुँचाता है? क्या मौलिक अधिकार महिलाओं के हितों की रक्षा करते हैं? कैसे?

....

....

....

....

....

4.3.3 संवैधानिक प्रावधानों का सार्वजनिक नीतियों में अनुवाद

एक लोकतान्त्रिक देश होने के नाते, भारत में, संवैधानिक प्रावधानों को सार्वजनिक नीतियों में लागू करने का लगातार प्रयास किया गया है। शैक्षिक योजनाओं, परियोजनाओं आदि के रूप में सार्वजनिक नीतियों में संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए आप केन्द्र सरकार के स्तर के साथ–साथ विभिन्न राज्य सरकार के स्तर पर कई उदाहरण ले सकते हैं। इस योजनाओं तथा परियोजनाओं को या तो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र अथवा राज्य सरकार के स्तर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है अथवा ग़ैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित करते हैं।

सार्वजनिक नीतियों में संवैधानिक प्रावधानों का अनुवाद तीन चरणों के आधार पर किया जाता हैः

चरण 1ः शिक्षा से सम्बन्धित संविधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें, जैसा कि भाग 4.3.2 में उल्लेख किया गया है, जिसे देश की जनसंख्या पर लागू करने की आवश्यकता है।

चरण 2ः संविधान में उल्लिखित मुद्दों के महत्व पर चर्चा करने के लिए शिक्षा आयोगों और समितियों की स्थापना करना तथा तदनुसार इसे पूरे भारत में लागू करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करना।

चरण 3ः भारत के संविधान से निकाले गए विभिन्न शैक्षिक आयोगों और समितियों सिफारिशों को लागू करने के लिए शैक्षिक योजनाएँ और परियोजनाएँ विकसित की जाती है।

हम इस सम्बन्ध में कई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मध्याह्न भोजन योजना, शैक्षिक मेधावी विद्यार्थियों की योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करना, महिला विद्यार्थियों की वित्तीय और अन्य सहायता, शैक्षिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि को सहायता प्रदान करना। भाग 4.5 में नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

अपनी प्रगति की जाँच करें 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर को दिए गए निम्नलिखित स्थान पर लिखिए।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1) शिक्षा का भारत के संविधान से क्या सम्बन्ध है?

....

....

....

....

....

....

....

....

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

2) निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा संवैधानिकअधिकार (अधिकारों) का उल्लंघन होगा?

i) यदि 10 साल का बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्टरी में काम कर रहा हो।

....

....

ii) यदि लोगों के एक समूह को कर्नाटक में बंगाली माध्यम में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है।

....

....

iii) जाति या धर्म के आधार पर यदि किसी बच्चे को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है।

....

....

4.4 शिक्षा लोकनीति का महत्त्वपूर्ण तंत्र : आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

कोच्रेन आदि सभी, 2009 ने लोकनीति को इस प्रकार परिभाषित किया है – "लोक सम्बन्धित मुद्दों के लिए सरकारी संस्था या कार्यालय द्वारा कार्य के लिए संकल्पित रूप में अनुकरण किया गया मार्ग।" इस प्रकार के कार्य को करने की विधियाँ परिणामतः विधि, लोक दस्तावेज, कार्यालय नियम तथा लोक व्यवहार का दृश्यमान प्रतिरूप हो जाते हैं। अधिकांश लोकनीतियाँ कुछ निश्चित कारणों के लिए विकसित की जाती हैं। एक उदार सरकार सदैव देश के विभिन्न पक्षों की भलाई के लिए काम करती है जैसे : स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, सामाजिक क्षेत्र, व्यवसाय तथा आर्थिक कार्य आदि। देश का विकास लोकनीतियों पर निर्भर करता है कि देश ने क्या स्थापित तथा क्रियान्वित किया है। लोकनीतियों के सभी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हैं, ये देश के लोगों को लाभ पहुँचाते हैं, तथा इनके विकास से जुड़े हैं। शिक्षा को सदैव लोकनीति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। किसी देश में शिक्षा का विकास सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के विकास के साथ आवश्यक रूप से सम्बन्धित हैं। अतः, शिक्षा लोकनीति के योजना में महत्त्वपूर्ण स्थिति ग्रहण करता है।

विश्व बैंक के 2011, 2012 तथा 2013 के आँकड़ों के अनुसार विश्व के चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत निम्नलिखित हैं:

तालिका 4.1 चयनित देशों के शिक्षा पर व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत तथा सरकारी व्यय का प्रतिशत) प्रकट करता है। यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षा पर सरकार का सामान्य व्यय (नकद, पूँजी तथा हस्तांतरण) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा सभी क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि) के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा कुल सामान्य सरकारी व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह सरकार के लिए विदेशी स्रोतों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त वित्त के व्यय को सम्मिलित करता है। यह शिक्षा पर व्यय का बजटीय प्रावधान का एक उदाहरण है। आपने उपयुक्त आँकड़ों का अवश्य अवलोकन किया होगा कि विकसित देशों का व्यय

विकासशील देशों की तुलना में सामान्यतः अधिक है। इसका अर्थ है कि देश के अन्य क्षेत्रों के विकास में आवश्यक रूप से उस क्षेत्र विशेष पर केवल व्यय नहीं बल्कि यह उनके शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा सरकारी व्यय के प्रतिशत पर निर्भर करता है।

तालिका 4.1: चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय

देश	शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)			शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय (सरकारी व्यय का प्रतिशत)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
ऑस्ट्रेलिया	5.1	4.9	–	13.5	13.2	–
ब्रजील	6.1	6.3	–	15.3	15.6	–
फ्रांस	5.5	5.5	–	9.9	9.7	–
भारत	3.9	3.9	–	14.2	14.2	–
जपान	3.8	3.8	3.8	9.7	9.5	9.6
न्यूजीलैंड	7.1	7.4	–	17.9	18.7	–
पाकिस्तान	2.2	2.1	2.5	11.0	10.9	11.6
दक्षिण अफ्रीका	6.0	6.4	6.0	18.9	20.6	19.2
श्रीलंका	2.0	1.7	–	9.3	8.8	–
यू.के. (ब्रिटेन)	5.8	–	–	12.7	–	–
संयुक्त राज्य अमेरिका	5.2	–	–	12.9	–	–

स्रोतः विश्व बैंक, 2015

निष्कर्षतः निम्नलिखित कारणों से "शिक्षा लोकनीति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र" हैः

- शिक्षा देश में अन्य क्षेत्रों के विकास से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका स्वास्थ्य, समाज सेवा, रक्षा, संचार तथा जनसंपर्क, व्यापार तथा उद्योग आदि से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।
- देश के लोगों को शिक्षित करना सरकार का कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्त्व है।
- शिक्षा पर पर्याप्य व्यय प्रशिक्षित तथा कुशल मानव शक्ति के निर्माण को सक्षम बनाता है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास के लिए कार्य करते हैं।

उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित तरीके से कहा जा सकता है कि "शिक्षा राष्ट्र के लोकनीति का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।"

क्रियाकलाप 2

तालिका 4.1 चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय के तुलनात्मक चित्र का विश्लेषण करता है। इस सम्बन्ध में, सन् 2011—2015 के लोकनीति के अन्य क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद पर सरकारी व्यय के विषय में सरकारी स्रोतों से सूचना एकत्र कीजिए तथा शिक्षा पर व्यय से इसकी तुलना कीजिए।

....
....
....
....
....
....

4.5 शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन

राष्ट्र के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र को शिक्षा के लिए लोक नीति का निर्माण तथा इसे देशभर में क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व है। इस सम्बन्ध में, आप स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में गठित समितियों तथा आयोगों की अनुशंसाओं से परिचित होंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948—49) से प्रारंभ कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) तक भारत ने शिक्षा में कई लोकनीतियों का अनुभव प्राप्त किया है। शिक्षा आयोग का गठन शिक्षा के उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं कर सकता है क्योंकि नीतियों का क्रियान्वयन समान रूप से आवश्यक है। हमने शिक्षा में लोक नीतियों के क्रियान्वयन की कठिनाइयों का अनुभव किया है। कई कारणों से बहुत बार योजना के निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है तथा आगे इसी नीति के विस्तार में यही परिणाम रहा है। उदाहरणार्थ, "प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण" की प्राप्ति भारत में नई अवधारणा नहीं है। इसे लगभग सभी शिक्षा आयोगों की संस्तुतियों में उछाला गया है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। परंतु आज तक, प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 75 प्रतिशत थी। इस सम्बन्ध में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के लिए एक अधिकार बनाना हमारे देश के लिए महत्त्वपूर्ण विकासों में एक है। अतः किसी शैक्षिक नीति का क्रियान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे : कार्य योजना का निर्माण, राजनीतिक समर्थन की प्राप्ति, वित्तीय प्रावधान तथा सम्बन्धित हितधारकों की सहभागिता।

4.5.1 कार्य योजना का निर्माण

शिक्षा पर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का निर्माण नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में पहला कदम है। कार्य योजना, योजना को मूर्त रूप देने तथा क्रियान्वयन के लिए एक रणनीति है। यह विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्त्वों को परिभाषित करती है जैसे, सरकार, स्थानीय इकाइयों, समूहों, व्यक्तियों तथा लाभार्थियों। यह शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर

वित्तीय प्रावधानों को भी सम्मिलित करती है। किसी शिक्षा नीति की कार्य योजना को बेहतर समझ के लिए एक उदाहरण पर विमर्श किया जाए।

भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रयोग में आया। उस समय कार्य निष्पादन के लिए विस्तृत कार्य योजना तथा क्रियान्वयन की रणनीति तैयार किया गया था। इस अधिनियम के विभिन्न भागों तथा उपभागों को क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया तथा हितधारकों की भूमिका तथा कार्यों को निश्चित किया। इस अधिनियम के कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा भी प्रदान की गई। कुछ मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई जैसे : कक्षाकक्ष में विद्यार्थियों तथा शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करना, शिक्षक प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बाल केन्द्रित शिक्षण, विद्यालयों में अनुपस्थिति की समस्या का समाधान, शिक्षकों में समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करना, बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों की सुनिश्चितता, हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण की योजना, अधिनियम के विभिन्न स्तरों पर इसके क्रियान्वयन के पक्षों की प्रतिपुष्टि एवं पुनर्रीक्षण आदि। अधिनियम पूरे भारत में (जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर) लागू है, तथा राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश पूरे मन से शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्सुकतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार, देश में किसी शैक्षिक नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तथा उचित कार्य योजना के निर्माण की आवश्यकता है। यह इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा में जितनी कार्य योजना का निर्माण महत्त्वपूर्ण है उतनी ही नीतियों के निर्माण की भी आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों तथा विशेषज्ञता से बहुसंख्य व्यक्ति कार्य योजना की तैयारी में सम्मिलित होते हैं।

4.5.2 शैक्षिक नीतियों को क्रियान्वित तथा कार्यान्वित करना

शैक्षिक नीतियों/ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रचनात्मक राजनीतिक समर्थन और वित्तीय प्रावधानों की आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक इच्छाशक्ति किसी भी नीति के क्रियान्वयन की कुंजी है। विशेष रूप से एक लोकतांत्रिक देश में, राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं और जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। राजनीतिक दलों की विचारधारा और दृष्टिकोण देश के संविधान के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत कार्य को प्राथमिकता देने पर प्रतिबिंबित करती है। यह महत्व रखता है कि शिक्षा आयोगों और समिति की संस्तुतियों की समय सीमा के अंतर्गत योजना को लागू करने के लिए सरकारें कितनी प्रभावी ढंग से योजना तैयार करती हैं और एक निश्चित रणनीति अपनाती हैं।

शैक्षिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वित्तीय प्रावधान और समर्थन भी समान रूप से उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ, भारत जैसे देश में शैक्षिक नीतियों को लागू करने के लिए विशाल जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भारी धनराशि आंवटित करने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि वित्तीय सहायता के अभाव के कारण कई शैक्षिक नीतियाँ कार्यान्वयन कठिनाइयों से युक्त होती हैं। कभी–कभी शैक्षिक नीतियों को कार्यान्वयन के लिए कम धनराशि मिलती है और देर से निधि प्राप्त करना नीतियों/ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक बाधा बन जाता है। इसके विपरीत, कभी–कभी, यह भी देखा गया है कि शैक्षिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, लेकिन हितधारकों के समन्वय

की कमी के कारण पैसा अप्रयुक्त रहता है और इसलिए योजना के अनुसार कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। तो अब यह स्पष्ट है कि राजनीतिक समर्थन और वित्तीय प्रावधान शैक्षिक नीतियों / योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रमुख हिस्सा है।

4.5.3 शैक्षिक नीतियों के नियोजन तथा निष्पादन में हितधारकों की सहभागिता

किसी भी शैक्षिक नीति के हितधारक इसके क्रियान्वयन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नीति का क्रियान्वयन करना आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना तथा लाभार्थियों को सशक्त करना है जिनके लिए नीति बनी है। उदाहरण के लिए, पुनः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पर विचार विमर्श किया जाए। इस अधिनियम में, कई हितधारक सम्मिलित हैं जैसे, केन्द्र तथा राज्य सरकारें, स्थानीय इकाइयाँ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें (State Councils of Educational Research and Training – SCERTs), प्रत्यक्ष प्रशासन, ग्राम पंचायत, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, माता–पिता, समुदाय सदस्य आदि। इस अधिनियम में, यद्यपि मुख्य लाभार्थी विद्यार्थी हैं, परंतु बहुत से हितधारक अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सम्मिलित हैं। सभी हितधारकों के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उनकी निश्चित भूमिकाएँ हैं, जैसेः

- केन्द्र तथा राज्य सरकारें अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे, वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तथा प्रगति पर नियंत्रण रखेंगे।
- शिक्षक, माता–पिता, समुदाय सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee - SMC) के सदस्य, अधिनियम को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सम्मिलित हैं।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institutes of Educational Training - DIETs) आदि अधिनियम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए रणनीति बनाते हैं।
- जिला शैक्षिक एवं सामान्य प्रशासन, स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आदि भी अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित हैं।

अतः एक हितधारक की सहभागिता के बिना शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए, यह शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक महत्त्वपूर्ण कारक हैं।

क्रियाकलाप 3

एक शिक्षक के रूप में, आप अपने विद्यालय में विभिन्न शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार की नीतियों के नामों की सूची बनाइए तथा उन कारकों को पहचानिए जो ऐसी शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं।

....

....

....

अपनी प्रगति की जाँच करें –2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर को दिए गए निम्नलिखित स्थान पर लिखिए।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

3) शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में शैक्षिक नीतियों का निर्माण किस तरह से महत्त्वपूर्ण है?

....

....

....

....

....

4) किसी शैक्षिक नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना की तैयारी के महत्त्वपूर्ण मुद्दों की सूची बनाइए।

....

....

....

....

....

4.6 नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन

भारत 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला एक विशाल देश है और यह एक बहुत ही विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विस्तारित है। भाषा, संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली आदि के संदर्भ में भी देश के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के व्यवहार अलग–अलग हैं। इन विशाल विविधताओं के अतिरिक्त, हमने एकता प्राप्त की है क्योंकि हम इन सभी विविधताओं को अपनी शक्ति मानते हैं, दुर्बलता नहीं। इसकी विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त रणनीति अपनाई जाती है। इस भाग में, हम नीतियों और योजनाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे।

यदि हम भारत के प्रशासनिक विभाग को देखते हैं तो यह राज्यों के संघ का देश है। वर्तमान समय में देश में 29 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, कृषि, खाद्य आदतें, आवास, जलवायु परिस्थितियों आदि की अपनी प्रथाएँ हैं। राज्यों की विशेषता और स्थानीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, किसी भी नीति या योजना को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय नीति के दर्शन और आत्मा/भावना का पालन करता है और तदनुसार वे अपने राज्य में इसे लागू करने के लिए नीतियाँ और योजनाएँ विकसित करते हैं।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इस पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि "शिक्षा" को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः शिक्षा प्रदान करना देश की केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व है। नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक उपयुक्त विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। आइए, निम्नलिखित उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं।

शिक्षा (आर.टी.ई. अधिनियम, 2009) के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 1 अप्रैल 2010 से देशभर में लागू किया गया था। आपको प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में संस्तुतियों के साथ आर.टी.ई. अधिनियम के मूल दस्तावेज/प्रपत्र मिल जाएँगे। भारत सरकार ने देश भर में आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी विकसित किए हैं। इसके, अतिरिक्त आर.टी.ई. अधिनियम और इसके नियोजन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, आप पाएँगे कि विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में इसका उपयोग करने के लिए मूल आर. टी.ई. दस्तावों/प्रपत्रों के अनुसार अपनी कार्यान्वयन योजना को अधिसूचित किया है। आगे आप पाएँगे कि जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अधिनियम के क्रियान्वित किया गया है। यह केन्द्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक की नीति और योजना का प्रवाह है तथा जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालय तक पहुँचने की दिशा में भी है। यह शैक्षिक नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के विकेन्द्रीकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के रूप में, वर्तमान में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विकेन्द्रीकृत योजना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में यह संस्तुति की गई है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) 2021 या 2022 तक विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी और इसे फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। एन.सी.ई.आर.टी. आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के क्रियान्वयन की विकेन्द्रीकृत योजना को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यवहार में लाया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धान्तों और अवधारणा के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) द्वारा अपनी विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास करेगी।

क्रियाकलाप 4

आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के उदाहरण जैसा, एक और उदाहरण दें जहाँ नीतियों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना का अभ्यास किया जाता है।

....

....

....

....

....

4.7 नीतियों का मूल्यांकन

नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन शिक्षा की किसी भी नीतियों और योजनाओं के प्रबन्धन का अन्य पहलू है। आपने शिक्षा की कई योजनाओं और नीतियों की मूल्यांकन रिपोर्ट देखी होगी। किसी भी नीति का मूल्यांकन रिपोर्ट उस नीति के क्रियान्वयन पर अनुसंधान का परिणाम होती है। जब हम अनुसंधान का एक अंश आयोजित करके नीतियों और योजनाओं का मूल्यांकन करने में स्वयं को संलग्न करते हैं तो हमें इसके कार्यान्वयन में आई बाधाओं का पता चलता है और हमें यह भी पता चलता है कि नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। आइए, एक उदाहरण के साथ इसकी चर्चा करते हैं।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) 2004 में भारत में प्रारंभ की गई एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। के.जी.बी.वी. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, अधिकतर पिछड़े जिलों और खण्डों में जहाँ लड़कियों का नामांकन कम है। के.जी.बी.वी. में नामांकित लड़कियों को आवासीय शिक्षा की सुविधा मिलती है। के.जी.बी.वी. में नामांकित लड़कियों की आवासीय शिक्षा की सुविधा मिलती है। के.जी.बी.वी. कैसे कार्य कर रहा है?, यह जानने के लिए योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया जा सकता है। योजना के लाभार्थी को शिक्षा की समुचित सुविधा मिल रही है या नहीं? तथा यह भी अध्ययन करता है कि क्या उन क्षेत्रों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है या नहीं। मूल्यांकन अध्ययन योजनाओं और नीतियों के मुद्दों, चुनौतियों और कार्यान्वयन खतरों की समझने के लिए एक खिड़की भी प्रदान करता है, ताकि उन्हें ठीक से संबोधित किया जा सके।

उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, किसी भी नीति और योजनाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य को निम्नलिखित बिन्दुओं पर संक्षेपित किया जा सकता है:

- शिक्षा या किसी अन्य क्षेत्र में योजना बनाने और नीतियों को तैयार करने के लिए आवश्यकता आधारित मूल्यांकन का अध्ययन करना।
- मौजूदा नीतियों के प्रावधानों और समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना।
- पहले की नीतियों की तुलना और विश्लेषण करना जो एक ही क्षेत्र में मौजूद थी और नई नीतियों के लिए आवश्यक परिवर्तन करना।
- दुनिया भर में समान प्रकार की नीतियों के कार्य और समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना।
- मौजूदा नीतियों की शक्ति, दुर्बलताओं, अवसरों और खतरों (एस.डब्ल्यू.ओ.टी.) विश्लेषण का अध्ययन करना।
- नीतियों को लागू करने के लिए सुझाव देना और कार्य योजना तैयार करना।
- नीतियों के कार्यान्वयन पर मध्यावधि प्रतिपुष्टि और मूल्यांकन अध्ययन करना।
- शैक्षिक और उच्च नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए।

अपनी प्रगति की जाँच करें–3

टिप्पणी: क) अपने उत्तर को दिए गए निम्नलिखित स्थान पर लिखिए।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

5) शिक्षा की नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

....

6) शिक्षा की योजनाओं और नीतियों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

....

....

....

....

....

4.8 सारांश

यह इकाई विशेष रूप से शिक्षा तथा संविधान के मुद्दों से सम्बन्धित है; शैक्षिक नीतियाँ और शिक्षा की योजनाँ। जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश की शैक्षिक योजना उसके संवैधानिक प्रावधानों के साथ चलती है। तदनुसार देश में शिक्षा को एक निश्चित आकार देने के लिए शैक्षिक नीतियाँ तैयार की जाती हैं। शैक्षिक नीतियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा सूक्ष्म शैक्षिक योजनाएँ तैयार और प्रारंभ की जाती हैं।

ऊपर वर्णित मुद्दों के अंतर्गत चर्चा के प्रमुख क्षेत्र शिक्षा और संविधान के मध्य सम्बन्ध हैं: शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान; शैक्षिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के कारक; योजनाओं और नीतियों के उचित कार्यान्वयन के लिए शिक्षा की भूमिका; योजनाओं और नीतियों के नियोजन, क्रियान्वयन और कार्यान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत रणनीतियाँ और नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने की आवश्यकता।

4.9 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

- भट्टाचार्य, एस. (2002). *एडुकेशन एंड द डिसप्रिविलेन्ड: नाइनविन्थ एंड ट्वेन्टीथ सैंचुरी इंडिया,* नई दिल्ली: ओरिएण्ट लांगमैन।
- कोचरन, एवं अन्य (2009). *अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी – एन इंट्रोडक्शन* (नौंवा संस्करण), वईसवर्थ सेंगेज लर्निंग एकेडमिक रिसोर्स सेंटर, बोस्टन।

- डे. निराधर (2013). रीजनल इर्मबेलेन्स इन टीचर एजुकेशन इन इंडियाः एन एनॉलिसिस ऑफ ईस्टर्न रीजन इन्क्लूडिंग द नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स, *जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लांनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खण्ड XXVII, सं. 1, नई दिल्लीःएन. आई.ई.पी.ए.।
- भारत सरकार (2009), दि राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2008, नई दिल्लीः भारत सरकार।
- इग्नू (2013). फिलॉसफी ऑफ इण्डियन कॉन्सीटि्यूशन, खण्ड 2, समकालीन भारतीय समाज एवं शिक्षा (बीईएस–004) नई दिल्ली, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
- इग्नू (2014). विद्यालयी शिक्षाः उद्देश्य एवं संरचना, खण्ड 1, बीईएस–017, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, नई दिल्ली, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय।
- कुमार, साई. अजीथ एवं लथिका, एम. (2012), सैकर्ड गोल्स एण्ड इनच्चुडियिस स्पेडिंगः ए मिड टर्म अप्रेजल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, *केरल जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खण्ड XXVI,, सं. 3, नई दिल्ली, एन. आई.ई.पी.ए.।
- भारत सरकार (2014–15), वार्षिक रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालयःनई दिल्लीः भारत सरकार।
- भारत सरकार (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन ई पी, 2020) नई दिल्लीः भारत सरकार।
- ओमवेट, जी. (1993). *दलित एंड द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनः डॉ. अम्बेडकर एण्ड द दलित मूवमेंट इन कोलोनिअल इंडिया.* नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।
- दि वर्ल्ड बैंक (2015), यूनेस्को इस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स, वेबसाइटhttp://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS/Countries से 1.11.2015 को लिया गया।
- तिलक. जे.बी. (2012). "ट्वेन्टी फाइव इयर्स ऑफ जर्नल ऑफ एजुकेशनल, प्लांनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (1987–2011) *जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लांनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खण्ड XXVI, सं. 1, नई दिल्लीः एन.आई.ई.पी.ए.।

वेबसाइट संदर्भितः

- http://floatingsun.net/udai/files/education-initiatives.pdf से 20.12.2015 को लिया गया।
- http://nagaon.nic.in/schmaste.html से 20.12.2015 को लिया गया।

4.10 अपनी प्रगति की जाँच के लिए उत्तर

1) भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में समग्र रूप से राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं और विशेष रूप से समाज के विभिन्न समूहों, वर्गों और समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश की शैक्षिक नीतियाँसंविधान के शैक्षिक प्रावधानों को दर्शाती हैं। इस तरह शिक्षा और संविधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

2) स्व अभ्यास

3) मात्र शिक्षानीतियों और योजनाओं का गठन ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि किसी भी नीति का उद्देश्यहितधारकों को सुविधाएँ प्रदान करना है। इसलिए किसी भी नीति और योजना के तीनों पहलु जैसे योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन महत्वपूर्ण हैं। किसी भी शैक्षिक नीति की सफलता उसके उचित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

4) राजनीतिक समर्थन तथा पर्याप्त वित्तीय आवंटन।

5) विकेन्द्रीकृत योजना का अर्थ है नीतियों और योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में सभी हितधारकों को सम्मिलित करना। लाभार्थियों को सभी सुविधाओं का लाभ देने के लिए शिक्षा की किसी भी नीति और योजनाओं का प्रवाह एक विकेन्द्रीकृत रणनीति का पालन करता है जैसे कि यह केन्द्र सरकार से विभिन्न राज्य सरकारों तक जाता है, इसके बाद जिला शिक्षा विभाग और फिर आगे यह विद्यालय तक पहुँचता है।

6) स्व अभ्यास

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY